न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सूरज सिंह नेगी

प्रकरण संख्या 07/16 तारीख रजू 31/08/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाई माधोपुर ––सायल(प्रार्थी)

बनाम

मनीष कुमार पुत्र दुर्गाशंकर जाति महावर निवासी 200/92 सीमेन्ट फेक्ट्री सवाई माधोपुर थाना मानटाउन सवाई माधोपुर।

–– गैरसायल (अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

आदेश

दिनांकः– 20.09.2021

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री मनीष कुमार पुत्र दुर्गाशंकर जाति महावर निवासी 200/92 सीमेन्ट फेक्ट्र सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	निर्णय दिनांक	फैसला
1	119/12	02.03.12	13 आर.पी.जी.ओ.	53	12.03.12	21.03.12	100 रू. आर्थिक दण्ड से दण्डित
2	145/12	15.03.12	13 आर.पी.जी.ओ.	71	25.03.12	30.03.12	100 रू. आर्थिक दण्ड से दण्डित
3	161/12	23.03.12	13 आर.पी.जी.ओ.	84	30.03.12	03.01.12	100 रू. आर्थिक दण्ड से दण्डित
4	177/12	03.04.12	13 आर.पी.जी.ओ.	92	14.04.12	18.04.12	100 रू. आर्थिक दण्ड से दण्डित
5	313/12	16.06.12	13 आर.पी.जी.ओ.	158	22.06.12	05.07.12	100 रू. आर्थिक दण्ड से दण्डित
6	47/16	06.02.16	13 आर.पी.जी.ओ.	23	08.02.16	09.03.16	100 रू. आर्थिक दण्ड से दण्डित
7	125/16	4.05.16	13 आर.पी.जी.ओ.	62	05.05.16	06.05.16	100 रू. आर्थिक दण्ड से दण्डित

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुऐ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसालय आदतन जुआ सट्टा खेलने का आदि है,तथा रूपये पैसो का दाव लगाकर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:14:20 IST
Reason: SelfAttested

सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टाबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है उक्त गैरसालय को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्व चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा गैरसालय को दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक और जहॉ वह स्वंय को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्व ना तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रूप से शिकायत पुलिस प्रशासन को दे पा रहे है। अतः उक्त शक्स को आदतन अपराधी मानते हुये राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3 (3) के तहत निष्काषन की विधिक कार्यवाही कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अतःगैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें।

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय निर्णय की प्रतियॉ प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 के नियम 4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक व असालतन उपस्थित आया। गैरसायल अब्दुल मनीष कुमार पुत्र दुर्गाशंकर जाति महावर निवासी 200/92 सीमेन्ट फेक्ट्री सवाई माधोपुंर थाना मानटाउन सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र में लगाये गये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। तत्पश्चात उभय पक्ष की बसह सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने बहस में तर्क दिया कि गैरसायल आदतन जुआ सट्टे खेलने का आदि है, तथा रूपयों पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। गैसायल पर चार मुकदमें 13 आ.पी.जी.ओ. 7 मुकदमे दर्ज हुये है सभी सातो मुकदमो में न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है फिर भी गैरसालय जुआ/सट्टेबाजी पर अंकुश नहीं लगा रहा है जिससे जिले एवं शहर के व्यक्तियों पर दुष्प्रभाव पड रहा है। अतः गैरसालय को राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावें ताकि शहर की आम जनता को शांति व सकून मिले।

विद्ववान वकील गैरसालय ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया है कि गैर सायल बिलकुल निर्दोष है प्रार्थी गैरसायल के विरूद्व धारा 3 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही गलत तथ्यों के आधार पर खोली गयी है। यह भी तर्क दिया है कि गैर सायल के विरूद्व जो भी मुकदमे दर्ज है वह झूठें दर्ज है गैर सायल के विरूद्व किसी प्रकार के कोई गंभीर मुकदमें दर्ज नहीं है ना ही गैरसायल अपराधी प्रवृति का व्यक्ति भी नहीं है। गैरसालय सामाजिक शान्तप्रिय व्यक्ति है। वर्तमान समय में समाज की मुख्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:14:20 IST
Reason: SelfAttested

धारा में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है। अन्त वकील गैरसालय द्वारा सरकार द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि :–

5. गैरसालय राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(3) में वर्णित अपराध कारित करने का आदि है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित 7 अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्व करार दिया जा चुका है। अतः गैरसालय " गुण्डा" की श्रेणी में आता है।
6. गैर सायल की गतिविधियॉ एवं प्रवृतिया अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है जो थाना क्षेत्र मानटाउन सवाई माधोपुर के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
7. गैरसालय के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैर सालय जिले में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) में वर्णित कृत्य कारित करने में संलिप्त है।
8. गैरसालय के कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

लिहाजाः– मैं डॉ0सूरज सिंह नेगी अतिरिक्त जिला दण्डनायक सवाई माधोपुर गैर सालय मनीष कुमार पुत्र दुर्गाशंकर जाति महावर निवासी 200/92 सीमेन्ट फेक्ट्र सवाई माधोपुर थाना मानटाउन सवाई माधोपुर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत " गुण्डा" घोषित करता हूँ तथा गैरसायल को 30 दिवस की समयावधि के लिए जिला सवाई माधोपुर व थाना मानटाउन सवाई माधोपुर परिक्षैत्र से निष्काषित करने का आदेश देता हूँ। थानाधिकारी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की तिथी से 15 दिवस पश्चात गैरसालय को 30 दिवस की समायावधि के लिए जिला बूंदी के थाना इन्दरगढ पर रहने हेतु थानाधिकारी थाना इन्दरगढ जिला बूंदी को सुपुर्द करे। गैरसालय को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावें। गैरसायल वहॉ रहने की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं 30 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किस भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर/थानाधिकारी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर को एवं एक प्रति पुलिस अधीक्षक बूंदी/थानाधिकारी थाना इन्दरगढ को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला दण्डनायक
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:14:20 IST
Reason: SelfAttested